सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 490 राँची, मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 सितम्बर, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-55/2019 का०- 4909-- श्री महेन्द्र छोटन उराँव, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला) के विरूद्ध इनके प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर कार्यावधि से संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1555, दिनांक 10.06.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद सं0-1276/2018 प्रशांत कुमार दास एवं अन्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अवमाननावाद सं0-1221/2018 विष्णुदेव प्रसाद बनाम सुखदेव सिंह में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2019 को Video Conferencing कर संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बोर्ड/निगम में समायोजित कर्मियों को अनुमान्य बकाया आदि का भुगतान अविलंब कर देंगे तथा दिनांक 24.04.2019 के 05:00 बजे अपराहन के पूर्व अनुपालन e-mail से भेजें।

2. श्री महेन्द्र छोटन उराँव, कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उनको दिए गए निदेश के आलोक में ससमय भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी।

3. श्री महेन्द्र छोटन उराँव द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(I) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8008, दिनांक 01.10.2019 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री उराँव के पत्र, दिनांक 12.06.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि-

"अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-24/ए0सी0पी0, दिनांक 31.08.2018 के आलोक में जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत कर श्री धनंजय कुमार, लिपिक को दिनांक 01.09.1998 के प्रभाव से सम्पुष्ट करते हुए प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक 17.05.2001 के प्रभाव से एवं द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक 17.05.2009 के प्रभाव से प्रदान किया गया। कार्यालय पत्रांक-124/को0, दिनांक 03.11.2018 द्वारा उक्त लाभ की सम्पुष्टि हेतु अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया। इनका पूर्व में जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 नं0 आवंटित न रहने के कारण कार्यालय पत्रांक-151/को0, दिनांक 21.12.2018 द्वारा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय से पत्राचार किया गया।

उनका पदस्थापन रामगढ़ जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में हुई है एवं जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, जिला खेल-कूद पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार, प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा के साथ-साथ जिला कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ के अतिरिक्त प्रभार में थे। जिला स्तरीय विभिन्न प्रभारों के अतिरिक्त उन्हें लोकसभा निर्वाचन, 2019 में प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग एवं वरीय पदाधिकारी, Observer कोषांग के रूप में प्रतिनियुक्त की गई थी। इसके बावजूद दिनांक 23.04.2019 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निदेश का अनुपालन कर कार्यालय पत्रांक-68/को0, दिनांक 24.04.2019 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना दी गई है।

निर्धारित वेतन के सत्यापन के पश्चात् ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का बकाया राशि की गणना कर कार्यालय पत्रांक-69/को0, दिनांक 30.04.2019 के माध्यम से योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से आवंटन की माँग की गई। दिनांक 14.05.2019 को आवंटन प्राप्त होते ही उसी दिन बकाया राशि 24,93,422/- रू0 का भुगतान कर दिया गया।"

श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3187, दिनांक 09.07.2020 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1406/वि0, दिनांक 06.08.2020 द्वारा श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री उराँव के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री उराँव के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, श्री महेन्द्र छोटन उराँव, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध **इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 490 -- 50